संचिका सं0–7/प0क0–बजट–33–08/2023–24 – 121(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण ,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– 19/03/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू0 3000/– के भुगतान हेतु बजटीय उपबंध एवं अनुपूरक आगणन से उपलब्ध करायी गयी राशि से रू0 30,32,56,500/– (रूपये तीस करोड़ बत्तीस लाख छप्पन हजार पॉच सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर को विभागीय संकल्प संख्या–789(12) दिनांक–09.08 2019 के माध्यम से उल्लेखित शर्त्तों के साथ 1000 रू० प्रतिमाह पारितोषिक निर्धारित की गई थी। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या–197(7) दिनांक–06 08.2025 के माध्यम से शेष यथावत शर्त्तों के साथ रुपये 1000/– (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/– की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक निर्धारित की गई है। पुनः विभागीय संकल्प संख्या–340(7) दिनांक–04.10.2025 के द्वारा दिनांक–01 07 2025 की तिथि से प्रभावी का सशोधित सकल्प भी निर्गत किया गया है। यद्यपि अब तक मे स्वास्थ्य विभागीय पत्राक–294(7) दिनांक–09 09 2025 के माध्यम से रू0 1,00,00,00,000/– (एक अरब रुपये) मात्र तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–356(7) दिनांक–06.10.2025 के माध्यम से रू0 1,00,00,00,000/– (एक अरब रुपये) मात्र अर्थात कुल रू0 2,00,00,00,000/– (दो अरब रुपये) मात्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सविदा सेवाये मद मे उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2– वर्तमान मे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक–8624 दिनांक–16.03 2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में पारितोषिक राशि के अवशेष भुगतान हेतु राशि रु0 60,65,13,000/– (साठ करोड पैसठ लाख तेरह हजार रुपये) मात्र की माग पुनः की गई है।

3– राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त मांग के समीक्षोपरांत वित्तीय वर्ष 2025–26 में तृतीय किरत के रूप मे राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयो मे कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसिलिटेटरों को पारितोषिक के रूप में प्रतिमाह रू0 3000/– के भुगतान के निमित रू0 30,32,56,500/– (रुपये तीस करोड बत्तीस लाख छप्पन हजार पॉच सौ) मात्र की संविदा सेवाये मद मे व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

4– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनाक–27.11 2007, संकल्प सख्या–545(12), दिनाक–11 06 2019, विभागीय संकल्प संख्या–197(7) दिनांक–06.08 2025 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक मे की जायेगी।

5— वित्त विभागीय पत्रांक—1354, दिनांक—06.02.2026 की कंडिका—2 (iii) को वित्त विभागीय पत्रांक—2781/वि0 दिनांक—19.03.2026 द्वारा उक्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पी0एल0 खाते में अंतरण के निमित शिथिल किया गया है ।

6— इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0—20 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—उप मुख्यशीर्ष—06—लोक स्वास्थ्य लघुशीर्ष—101—रोगों का निवारण तथा नियंत्रण—उपशीर्ष—0114— आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, विपत्र कोड—20—2210—06—101—0114—28—02 संविदा सेवाएँ अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7— राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख होंगे। अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0 एल0 खाता संख्या—PBBPLA011 में हस्तान्तरित करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति नियमानुसार उतनी राशि, जितनी तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक हो, की निकासी कर संबंधित खाते मे हस्तनान्तरित करेगी। किसी भी परिस्थिति मे पी0एल0 खाते से अग्रिम राशि की निकासी कर बैक खातो में पार्क नहीं किया जाय।

8— उपरोक्त खाता का धन—ऋण ज्ञापन ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगे एव इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त राशि के अनावश्यक रूप से पार्क होने की जिम्मेवारी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की होगी।

9— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

10— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या—7/प0क0—बजट—33—08/2023—24 के पृष्ठ—..28../टि0 में प्राप्त है ।

11— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

12— सबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13— प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
19.3.26
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—7/प0क0—बजट—33—08/2023—24—181(7A)/स्वा0, पटना, दिनांकः—19/03/2026

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ सबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी— 07, 12/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.3.26
सरकार के अपर सचिव

(302)

पत्र सं०-एम-4-10/2026..2781../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार,
विकास भवन, पटना ।

पटना-15, दिनांक.19-03-26

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधेज शिथिलीकरण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं एवं फैसीलिटेटरों को पारितोषिक भुगतान के निमित कुल ₹60.6513 करोड़ की निकासी कर राज्य स्वास्थ्य समिति के पी०एल० खाता में अंतरण के निमित वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 की कंडिका-2(iii) को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव में निहित राशि का 50% अर्थात ₹30.32565 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 की कंडिका-2(iii) को शिथिल किया जाता है ।

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के विपत्र कोड-20-2210-06-101-0114 के विषय शीर्ष-2802-संविदा सेवाएँ मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

19/3/2026

(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांकः-एम-4-10/2026..2781../वि०, **पटना-15, दिनांक..19-03-26**

प्रतिलिपिः-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/प०क०-बजट-33-08/2023-24 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/2026

संयुक्त आयुक्त